





15/9/20

343

श्री. शंकर लाल शर्मा

व. नं. 343/2020

अनीत बाई जोनरिये

शयोदान पुत्र श्रवण,

2. लादू पुत्र मूला,

समस्त जाति गुर्जर, निवासीगण ग्राम पालडी भोपतान, तहसील  
रूपनगढ, जिला अजमेर।

14.9.20

-अपीलांटस

बनाम

1. काना पुत्र जगा, (फोटो)

2. हरदेव पुत्र जग्गा,

समस्त जाति गुर्जर, निवासीगण ग्राम पालडी भोपतान, तहसील  
रूपनगढ, जिला अजमेर।

3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील रूपनगढ, जिला  
अजमेर।

- रेस्पोंडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955  
विरुद्ध निर्णय विद्वान न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ,  
जिला अजमेर दिनांक 26.10.2016, जो प्रकरण संख्या 10/2016  
उनवानी काना बनाम राजस्थान सरकार में पारित किया गया।

59